न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय जमुई
यू0ए0पी0 संख्या–97/2015
(झाझा थाना कांड संख्या–159/2015 से उत्पन्न)

बिहार सरकार

बनाम

प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद यादव पिता–किशुन यादव

जमानत आदेश

14.09.2023

1. आवेदक/अभियुक्त **प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद यादव** पिता–किशुन यादव की ओर से आज ही दाखिल आत्मसमर्पण सह नियमित जमानत आवेदन को विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दे दी गई है। सुनवाई के समय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक उपस्थित हैं। आवेदक को आत्मसमर्पण के उपरांत न्यायिक हिरासत में लिया जा चुका है।

2. आवेदक/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर थे परंतु वाद में आरोप गठन की निश्चित तिथि को उपस्थित नहीं रहने के कारण से उनका बंधपत्र खंडित किया गया है।

3. जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पूर्व से जमानत पर थे और अभिलेख लम्बे समय से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रत्याशा में चला आ रहा था। आवेदक घर का मुख्य व्यक्ति है जो कमाने के लिए बाहर चले गये थे। अभिलेख आरोप गठन हेतु चला आ रहा था। संबंधित अधिवक्ता लिपिक/अधिवक्ता से आवेदक का कोई सम्पर्क नहीं हो पर रहा था, जिसके कारण आवेदक का बंध पत्र दिनांक–24.11.22 खंडित हो गया। यह भी कि आवेदकगण ने जानबूझकर बंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। अतः जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक को पूर्व में जमानत की सुविधा दी गई थी परंतु आरोप गठन की तिथि दिनांक–24.11.2022 को आवेदक/अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण से उनका बंधपत्र खंडित कर दिया गया। आवेदक आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं और कहना है कि दूवारा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

आवेदक/अभियुक्त **प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद यादव** को न्यायालय के संतुष्टिप्रद 20,000/– रूपये के दो प्रतिभू एवं उतनी ही राशि का स्वयं का बंध–पत्र दाखिल करने पर इस निर्देश के साथ जमानत की सुविधा दी जाती है कि जमानतदार ग्रामीण या निकट संबंधी होगें तथा आरोप गठन तक सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालय बंध–पत्र प्रस्तुत करने पर अभिलेख प्रस्तुत करें। वाद दिनांक–03.10.2023 वास्ते उप0।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जमुई